

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 05/2025

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल निवासी बाबारामदेव मंदिर के पास, श्रीगंगानगर
2. चाचा दा ढाबा, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 सिलेण्डर मय 3.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि


अप्रार्थी विजय कुमार अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 24.10.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरुपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 20.08.2025 को चाचा दा ढाबा, सूरतगढ़ रोड पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल निवासी रामदेव मंदिर के पास, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को उक्त होटल का कार्मिक होना बताया। मौके पर उक्त ढाबे का मालिक श्री अनमोल का अनुपस्थित होना बताया। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल की उपस्थिति में ढाबा का निरीक्षण किया गया। ढाबे की जांच में पाया कि ढाबा पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग रोटी बनाने, चाय आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त ढाबे पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल के ढाबे पर पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 3.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं धीरेन्द्र पुत्र श्री रामवतार उम्र 41 वर्ष जाति शाक्य निवासी भाटा कालोनी, श्रीगंगानगर कार्मिक राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 3.0 किलोग्राम गैस का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION)



  
अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर

ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 3.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।


अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पुलिस थाना सादुलशहर की रिपोर्ट अनुसार नोटिस की तामील विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल को जरिए दुरभाष पर तारीख पेशी के लिए सूचित किया गया। अप्रार्थी आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि घरेलू गैस का दुरुपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 20.08.2025 को चाचा दा ढाबा, सूरतगढ़ रोड पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल निवासी रामदेव मंदिर के पास, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को उक्त होटल का कार्मिक होना बताया। मौके पर उक्त ढाबे का मालिक श्री अनमोल का अनुपस्थित होना बताया। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल की उपस्थिति में ढाबा का निरीक्षण किया गया। ढाबे की जांच में पाया कि ढाबा पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग रोटी बनाने, चाय आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त ढाबे पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल के ढाबे पर पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 3.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं धीरेन्द्र पुत्र श्री रामवतार उम्र 41 वर्ष जाति शाक्य निवासी भाटा कालोनी, श्रीगंगानगर कार्मिक राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल के 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 3.0 किलोग्राम गैस का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION)

ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 3.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।



अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस का दुरुपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 20.08.2025 को चाचा दा ढाबा, सूरतगढ़ रोड पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल निवासी रामदेव मंदिर के पास, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को उक्त होटल का कार्मिक होना बताया। मौके पर उक्त ढाबे का मालिक श्री अनमोल का अनुपस्थित होना बताया। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल की उपस्थिति में ढाबा का निरीक्षण किया गया। ढाबे की जांच में पाया कि ढाबा पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग रोटी बनाने, चाय आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त ढाबे पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल के ढाबे पर पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 3.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं धीरेन्द्र पुत्र श्री रामवतार उम्र 41 वर्ष जाति शाक्य निवासी भाटा कालोनी, श्रीगंगानगर कार्मिक राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 3.0 किलोग्राम गैस का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्री विजय कुमार पुत्र श्री जेठालाल के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 3.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



3  
(सुभाष कुमार)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर